

## वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2012

क्र. एफ 1(1) 33-2012-सी-प्यारह.— राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त सारणी के कलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा फर्सियों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है:—

## सारणी

अनु.	अधिकारी का नाम	अधिनियम की धाराएं	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री एम. जे. कुरेशी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्स एवं संस्थाएं, ग्वालियर संभाग	6,7,10,11,12,13,15, 16,17,18,25 (2), 26,27,28,29,30,31, 32,37,38 एवं 39.	भोपाल, नर्मदापुरम् संभाग.

2. सुश्री शक्ति सिंह असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्स एवं संस्थाएं, भोपाल एवं नर्मदापुरम् संभाग के अवकाश दिनांक 17 अक्टूबर 2012 से 17 नवम्बर 2012 तक के लिये यह आदेश प्रभावशील रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. पी. अग्रिया, अवर सचिव.

## आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2012

राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-546-बर्तिस-90, दिनांक 19 फरवरी, 1992 द्वारा गठित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, माध्यम एवं कार्वेटर मैनेर) ग्वालियर में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 64 की उपधारा 3 (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा तहसील ग्वालियर, मुरैना, जौरा एवं मोहद के निम्नलिखित गांवों की उक्त विशेष क्षेत्र में सम्मिलित करती है:—

तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के ग्राम:—

महेंदपुर, महेश्वरा, अगरा, भटपुरा, डांगगुडीना एवं खेरिया केसर.

तहसील मुरैना, जिला मुरैना के ग्राम:—

लोकपुरा, जयनगर, बानी, चुरेहला, बरौडा, लभनपुरा जारोनी, लोहगढ़, दोहवली, जोरुआ, कलुआ, जराण, धनेला, पहाड़ी, सपपौली, जखौदा, विजयपुरा, बरोकापुरा, सिक्कोड़ी, सेवा, नूराबाद, तिघरा, गुलेन्द्रा, गुलेन्द्री, खगापुर, भरोड, भडरई, महटोली, गोबरा, वनकपुरा, गलाखानपुरा, खेरिया, चन्हेटी, बराहना, दौलसां, पिनावली, पारोली, नयागांव, करोला, बरईपुरा, खिरायली, रंगु, इन्दुली, रंतेली, पड्डायली, भटपुरा डांग, बकरीपुरा, बड़वारी, मरतपुर, मवई, ऐती, बराहवली, मिठावली, गड्डाजरा, पिपारोया, धनपुरा, पियारई, नायकपुरा, जैतपुर चंबल, मसुदपुर, बिडवाचंबल, जाहू, हुलेनपुर, बंध, हैरामपुर, होलीपुरा, पचौखरा, दीखतपुरा, शिकरीया, पिपररा, खरिका, भांकारी एवं मुरैना निवेश क्षेत्र.

तहसील जौरा, जिला मुरैना के ग्राम:—

खनैवा, सहरगा.

तहसील मोहद, जिला भिण्ड के ग्राम:—

धिरोगी, तिलोरी तथा मालनपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेका, उपसचिव.

## संसदीय कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2012

क्र. 1276-एफ(2)-25-05-दो-अड्डतालीस.— राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्रमांक 561-एफ(1)-25-05-दो-अड्डतालीस, दिनांक 25 मई, 2009 को अधिष्ठाित करती हुए, पदेन अध्यक्ष, पीडिता कुंजीलाल दुने, राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, भोपाल की अध्यक्षता में प्रबंध समिति का तीन वर्ष के लिए निम्नानुसार गठन करता है:—

क्र.	नाम एवं पद/विभाग	पद
(1)	(2)	(3)
1	सुश्री ऊषा ठाकुर, भूतपूर्व विधायक, इन्दौर	उपाध्यक्ष
2	श्री गिरिजा शंकर शर्मा, विधायक, इटारसी	सदस्य
3	श्री सुरेन्द्र पटवा, विधायक, भोजपुर	सदस्य